

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-28/2025-3941 व०प०, राँची, दिनांक-19/11/25
प्रेषक,

राजदीप संजय जॉन,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड,
मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002.

To upload on
Parivesh

विषय :- Paradip-Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) Project हेतु 6.206 हे० (दुमका वन प्रमंडल अंतर्गत 6.101 हे० तथा गोड्डा वन प्रमंडल अंतर्गत 0.105 हे०) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Pipeline/152551/2022) के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-741 दिनांक-24.09.2025 एवं पत्रांक-832 दिनांक-21.10.2025 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रस्तावित 6.206 हे० वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध दुमका वन प्रमंडल अंतर्गत चिन्हित 14.813 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूर्क वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) विषयक प्रस्ताव के विरुद्ध प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Soil & Moisture Conservation Plan तैयार कर उसके Implementation की राशि का भुगतान परियोजना व्यय पर किया जाएगा।
- (5) विषयक प्रस्ताव के विरुद्ध प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसके Implementation की राशि जमा की जाएगी।
- (6) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राजदीप संजय जॉन)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-वन भूमि-28/2025-3941 व०प०, राँची, दिनांक-19/11/25
प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन,
अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०-यथोक्त।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-वन भूमि-28/2025-3941 व०प०, राँची, दिनांक-19/11/25
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/Chief Manager, Project Pipeline Division, Numaligarh Refinery Limited,
122A, Christian Basti, G.S. Road, Guwahati-781005 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 6.206 ha of Forest Land for Paradip-Numaligarh Crude Oil Pipeline (PNCPL) Project.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 6.206 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 3941 dated-19/11/25.

La 18/11/25

Rajdeep Sanjay Lal John

Special Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

(Official Seal)

Date: 18.11.2025

Place: Ranchi